न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर।
रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या–564 / 2026
केस संख्या–2125 / 2026
CNR No. - UKUS020091602026
अजय कुमार सिंह बनाम सरकार

धारा–एम0वी0 एक्ट
थाना–यातायात रूद्रपुर,
मु0क्र0सं0–19248 / 2026

दिनांक 21.08.2026

प्रार्थी / वाहन स्वामी **अजय कुमार सिंह** की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री तालिब** द्वारा यह वाहन निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र **वाहन संख्या यू0के0–06ए0पी0–4101** को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। अतः उक्त वाहन रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. यातयात कार्यालय रूद्रपुर की आख्यानुसार वाहन उपरोक्त को धारा एम0वी0एक्ट में सीज किया गया है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से यातयात परिसर रूद्रपुर में खड़ा है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. उपरोक्त के संबंध में **Anandi Devi Vs State of Uttarakhand and Another, Criminal Misc Application No-1506 of 2019** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा यह अवधारित किया गया है किः–

> "This Court is also in agreement with the contention of learned counsel for the applicant. Sub-Section(2) to Section 207 of the Motor Vehicles does not give exclusive power to the transport authority or any officer authorised in this behalf by the State Government and the Magistrate concerned is well within its jurisdiction to deal with any such release application even prior to filling of charge sheet in the matter."

6. प्रार्थी द्वारा वाहन के स्वामित्व के संबंध में वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति दाखिल कर मूल अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से उसमें पंजीकृत स्वामी के रूप में प्रार्थी का नाम अंकित होना दर्शित है। अपनी पहचान के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ प्रेषित की गई है। ऐसे में उक्त वाहन को पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में **मुव–40,000 / –रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं इस आशय का अण्डरटेकिंग** प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर दिया जाता है कि –

(1) यह कि प्रार्थी / पंजीकृत वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बिना अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

(2) यह कि प्रार्थी / पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन के रूप, रंग, आकार में कोई सारवान परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) यह कि प्रार्थी / पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन को जब भी न्यायालय / विवेचक तलब करेगा, स्वयं के व्यय पर न्यायालय / विवेचक द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पेश करेगा।

7. उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष उपरोक्त वाहन को, यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की जाँच कर तथा प्रार्थी की पहचान सुनिश्चित कर, उसके पक्ष में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

8. यह आदेश केवल वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु है। इस आदेश का प्रभाव वाहन स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं है।

(जयेन्द्र सिंह),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उधम सिंह नगर।